**अज अदालतः— न्यायिक मजिस्ट्रेट धोद, सीकर (राज०)**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**परिवादी अशोक बनाम राज्य**<br>**एफ.आर. नंबर– 34/2025**<br>**सीआईएस संख्या–89/2025** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.07.26 | सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रविंद्र सिंह उपस्थित।<br>परिवादी अशोक अनुपस्थित। न्यायालय समय में बार–बार रूक रूक कर आवाजे लगवायी गईं। न्यायालय समय 04.30 पीएम हो चुका है। इसके बावजूद परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। जिस पर परिवादी की अनुपस्थिति दर्ज की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि अंतिम प्रतिवेदन परिवादी की उपस्थिति में पेश किया गया था, जिस पर परिवादी की ओरसे अधिवक्ता श्री रमेश कुमार ने वकालतनामा पेश कर नाराजगी याचिका पेश करने हेतु अवसर चाहा गया था। तत्पश्चात् पत्रावली लगातार नाराजगी याचिका पेश करने के स्तर पर ही नियत रही एवं दिनांक 11.02.2026 के पश्चात् लगातार परिवादी व परिवादी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। आज भी परिवादी या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण में एफआईआर नं0 76/2025 पीएस लोसल धारा 308(2) बीएनएस के तहत किता हुई एवं प्रकरण में बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन 34/2025 अदम वकू सिविल नेचर में प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के खण्डन के कोई आधार या सामग्री उपलब्ध नहीं है। परिवादी स्वयं भी उपस्थित नहीं है। अनुसंधान निष्कर्ष के विपरीत कोई भी साक्ष्य सामग्री परिवादी द्वारा पेश नहीं की गई है। पत्रावली पर प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के खण्डन व प्रसंज्ञान के कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से अंतिम प्रतिवेदन संख्या 34/2025 पीएस लोसल अदम वकू सिविल नेचर में स्वीकार किया जाता है। केस डायरी संबंधित थानाधिकारी को जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी लौटायी जावे। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफतर हो। | |